न्यायालयः—राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 72/2010/75 एलआर एक्ट

1. प्रभातीराम पुत्र स्वर्गीय श्री नानूराम जाति चमार, निवासी चक नम्बर 4 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. भगवानाराम पुत्र स्वर्गीय श्री नानूराम जाति चमार, निवासी चक नम्बर 4 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. सतपाल पुत्र स्वर्गीय श्री नानूराम जाति चमार, निवासी चक नम्बर 4 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. प्रीतपाल पुत्र स्वर्गीय श्री नानूराम जाति चमार, निवासी चक नम्बर 4 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. प्रकाश पुत्र श्री दुलीराम जाति चमार, निवासी चक नम्बर 4 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. रमेश पुत्र स्वर्गीय श्री दुलीराम जाति चमार, निवासी चक नम्बर 4 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

—अपीलान्ट

—: बनाम :—

1. संरपच ग्राम पंचायत चक नम्बर 4 डी.डब्ल्यू.एम. पचांयत समिति रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व)रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.02.2008 अन्तर्गत धारा 22 उप0 अधिनियम प्रकरण संख्या 182/2008

उपस्थित :—

श्री कानाराम वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री कासम अली अधिवक्ता रेस्पों सख्या 01
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक —31.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलाट के स्वर्गीय पिता श्री नानूराम पुत्र श्री सीमदा जाति चमार निवासी रावतसर के नाम से चक नम्बर 4 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रावतसर की प.नं. 173/51 की किला नम्बर 3 ता 8/6.00, 13 ता 18/6.00 23 ता 25/2.14 , पं.न. 173/52 किला नं. 4,5,24 3 बीघा कमाण्ड, कि.न. 6,7,14,15,16,25 6 बीघा अनकामाण्ड खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त है, उक्त पत्थर नंम्बर की उक्त भूमि के चिपते हुए किला नम्बर 3/1.00, 19/1.00,22/.18 2 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि दिनांक 28.09.84 को जरिए आवेदन पत्र 1004/84 स्मालपैच मि.न. 15/9/84 के द्वारा अपीलाटस के स्वर्गीय पिता श्री नानूराम को स्मालपैच में आवंट हुई जिसकी समस्त राशि अपीलाटस के स्वर्गीय पिता श्री नानूराम द्वारा खजानाराज में जमा करवा दी गई तथा स्वर्गीय नानू के नाम से श्रीमान जिला कलेक्टर श्रीगगानगर द्वारा दिनांक 31.03.1990 को खातेदारी सनद जारी की गई व खातेदारी सनद के आधार पर स्वर्गीय नानू के नाम से राजस्व रिकार्ड से खातेदारी का अंकन दर्ज किया गया। खातेदारी सनद में लिपिकीय भूल से किला न 22 के 18 बिस्वा के स्थान पर किला नम्बर 24 के 18 बिस्वा अपीलाटस् के स्वर्गीय पिता नानूराम के नाम से खातेदारी दर्ज हो चूका है। अपीलाटस के पिता का देहान्त हो चका है, जब तक अपीलाटस के स्वर्गीय पिता जीवित थे, उक्त समस्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके जायज एवं कानूनी वारिसान जो कि अपीलाटस का कब्जा काश्त है लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आवंटन आदेश के द्वारा अपीलाटस के पिता क नाम की चक नम्बर 4 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर के प. न. 173/51 के किला नम्बर 22 की 18 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि को गलत आधारों पर हाडा रोहडी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है जो कतई सही नही है। अपीलाटस् अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2008 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व एवं सही तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश को पारित करते समय वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं करके कानूनी भूल की है। इसलिए भी अपीलाधीन आदेश अपास्त करने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलाट से स्वर्गीय पिता नानू के नाम की चक नम्बर 4 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर न. 173/51(14)की किला न. 22 की 18 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि हाडा रोहडी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की है, किसी भी खातेदार काश्तकार की खातेदारी कृषि भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं किया जा सकता। अपीलाट के स्वर्गीय पिता नानू के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नाम आवंटन आदेश दिनांक 28.09.1984 अभी प्रभाव में है, इसलिए भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश को पारित करते समय विचारण न्यायालय ने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं अपने न्यायिक विवके का सही तरीके से उपयोग करने मे भारी कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांटस को सुनवाई का कोई अवसर प्राप्त नही किया गया जबकि अपीलांटस विचारण न्यायालय की कार्यवाही मे एक अहम पक्षकार थे तथा अपीलांटस एक अहम जवाबदेही रखते है। अपीलाधीन आदेश की विवादित भूमि अपीलांटस के स्व. पिता नानू पुत्र सीमदा के नाम की खातेदारी भूमि है। अपीलांटस के स्व. पिता के जीवनकाल मे विवादित भूमि चक 4 डीडब्ल्यूएम के प.न. 173/51 के कि.न. 22 की 18 बिस्वा भूमि पर उनका कब्जा काश्त रहा, उनकी मृत्यु के बाद अपीलांटस का कब्जा काश्त है तथा मौका पर अपीलांटस की फसल काश्त है। वादग्रस्त भूमि अपीलांटस को विरासत मे प्राप्त हुई है लेकिन अभी तक अपीलांटस के नाम नामान्तरण दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन दर्ज नही हुआ हौ। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित होगें। अपीलांटस को विचारण न्यायालय ने सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किाय गया जबकि अपीलांटस आवश्यक पक्षकार थे, इसलिये अपीलांट को तृतीय पक्षकार के रूप मे अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। दिनांक 14.09.2010 को अपीलांट सं. 4 हल्का पटवारी से विवादित भूमि की जमाबंदी लेने गया तब हल्का पटवारी ने अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश 11.02.08 के बारे मे बताया कि आपके पिता नानू पुत्र सीमदा के नाम की चक 4 डीडब्ल्यूडी के प.न. 173/51 के कि.न. 22 की 18 बिस्वा भूमि दिनांक 11.02.2008 को हड्डा रोहड़ी के लिए ग्राम पंचायत चक 4 डीडब्ल्यूएम को अलॉट कर दी गई है जिस पर अपीलांटस ने दिनांक 15.09.10 को विचारण न्यायालय मे जाकर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। अपीलांटस ने ज्ञान होने बाद अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। इसलिये अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को माफ किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर समझी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि चक 4 डीडब्ल्यूडी के प.न. 173/51 के कि.न. 22/0.228 है0 पर कब्जा नानूराम पुत्र सिमदा का रहा तथा इनके फौत पर इनके वारिसान अपीलांटस का कब्जा काश्त है वर्तमान मे भी कि.न. 22/0.228 मे स्व. नानूराम व उनकी धर्मपत्नि पार्वतीदेवी की स्माधी बनी हुई है तथा उनकी संतान सामुहित रूप से काश्त करते है। उक्त कि.न. 22 को हड्डा रोही हेतु आरक्षित किया है जो पूर्णतया विवादित है।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही थे इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांटस के पिता नानू पुत्र सीमदा को दिनांक 28.09.84 को कीमतन चक 4 डीडब्ल्यूएम के प.न. 173/51 कि.न. 3, 19, 22/0.228 अनकमाण्ड रकबा स्माल पेच मे आवंटित हुआ जिसकी सनद दिनांक 13.03.1990 को जारी करते समय प.न. 173/51 कि.न. 3, 19, 22/0.228 के स्थान पर कि.न. 3, 19, 24/0.228 कुल 2.18 बीघा अंकित किया गया। इसी प्रकार नानू पुत्र सीमदा के नाम इसी चक 4 डीडब्ल्यूएम के प.न. 173/51 कि.न. 4 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 13.14 बीघा भूमि की सनद जारी की गई तथा इसी चक 4 डीडब्ल्यूएम के प.न. 173/52 कि.न. 4, 5, 24, 6, 7, 14, 15, 16, 25 अ0क0 व प.न. 173/53 कि.न. 13 ता 18 कुल 15 बीघा रकबा की सनद दिनांक 12.04.90 को जारी की गई परन्तु प.न. 173/51 के कि.न. 24 सनद दिनांक 13.03.1990 मे जो दो सनद नानू पुत्र सीमदा के नाम जारी की गई दोनो सनदो मे अंकित कर दिया गया जबकि प.न. 173/51 के कि.न. 22/0.228 है0 नानू पुत्र सीमदा को अलॉट हुआ परन्तु सनद जारी करते समय कि.न. 22/0.228 के स्थान पर कि.न. 24/0.228 अंकित कर दिया जिस कारण उक्त कि.न. 22/0.228 है0 आराजीराज दर्ज रहा और आराजीराज दर्ज रहने के कारण उक्त कि.न. 22/0.228 है0 रकबा प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन के आधार पर हड्डा रोही के नाम अलॉट कर दिया परन्तु वादग्रस्त रकबा पर पूर्व मे एवं मौका कब्जा काश्त नानू व उसकी मृत्यु के बाद नानू के वारिसान का लगातार रहा है तथा विवादित रकबा पर कब्जा अपीलांटस एवं पूर्व मे नानू का रहने के संबंध मे सरपंच ग्राम पंचायत चक 4 डीडब्ल्यूएम की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2010 पत्रावली मे प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय ना तो अपीलांटस को पक्षकार बनाया और ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया तथा ना ही मौका कब्जा काश्त के संबंध मे विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर मौके की जांच की गई। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश बिना प्रभावित पक्षकारो सुने एवं बिना मौका की जांच किये पारित किया गया है जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

उचित नही होने के कारण अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2008 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांटस को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वादग्रस्त भूमि रकबा के संबंध मे मौका कब्जा काश्त के संबंध मे रिपोर्ट प्राप्त करते हुए नानू पुत्र सीमदा को आवंटित हुये रकबे की जांच करते हुए पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.08.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official